प्रेषक,

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मण्डल–गोरखपुर/बस्ती।

सेवा में,

प्रबन्धक
के0एस0 पाण्डेय पब्लिक अकादमी
हरिहरपुर, नाथनगर, खलीलाबाद
जनपद–संत कबीरनगर

पत्रांक– 2057-8 /2016–17 दिनांक 31 मार्च 17

विषयः **प्राथमिक विद्यालय 'के0एस0 पाण्डेय प्राथमिक विद्यालय' के नाम को संसोधित कर 'के0एस0 पाण्डेय पब्लिक अकादमी' करने के संदर्भ में।**

प्रिय महोदय/महोदया

आपके द्वारा दिये गये निवेदन पत्र दिनांक 20.02.17 के संदर्भ से विद्यालय के साथ पश्चावर्ती पत्राचार के निर्देश से आपके विद्यालय 'के0एस0 पाण्डेय प्राथमिक विद्यालय' के नाम को शासनादेश सं0–1973(3)/07.06.96–(डी)7/97 दिनांक 10.07.2004 के क्रम में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ विद्यालय का नाम संशोधित कर 'के0एस0 पाण्डेय पब्लिक अकादमी' करने की सूचना, दिनांक 24.03.17 से कक्षा 1 से पांच तक के लिये अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के साथ पूरा किये जाने के अध्यधीन है–

1. प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के साथ नर्सरी कक्षाएँ, के0जी0 संलग्न करने की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध–एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपलब्ध–2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. परिषदीय पाठ्यक्रमानुसार ही शिक्षा दी जाये।
4. विद्यालय कक्षा एक से पांच से बालकों के संख्या के 25 प्रतिशत तक पास पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधाविहिन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपीटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा ही चलाया जायेगा।

Principal
K.S. Pandey Public Academy
N.P. Hariharpur, Sant Kabir Nagar (U.P.)

Manager
K.S. Pandey Public Academy
N.P. Hariharpur, Sant Kabir Nagar (U.P.)

7\. विद्यालय को पूर्व में आवंटित किये गये मान्यता कोड सं0 7789–91/03–04 व संशोधित किये गये नाम 'के0एस0 पाण्डेय पब्लिक अकादमी' का आवंटन मान्यता कोड में कोई संशोधन नहीं किया जा रहा है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का ही उल्लेख करें।

8\. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाये।

9\. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि हो, तो सुनिश्चित किया जाये।-

भवदीय

S.P. Tripathi

(डा0 सत्य प्रकाश त्रिपाठी)
सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मण्डल गोरखपुर/बस्ती

पृ0सं0 आशु0/ /2016–17 दिनांक–

प्रतिलिपि–निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1\. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, संतकबीरनगर।

2\. जिला समाज कल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/विकलांग कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, संतकबीरनगर।

3\. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, संतकबीरनगर।

4\. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, संतकबीरनगर।

5\. नगर शिक्षा अधिकारी, संतकबीरनगर।

6\. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य के0एस0 पाण्डेय पब्लिक अकादमी हरिहरपुर, संतकबीरनगर।

K.S. Singh
Principal
K.S. Pandey Public Academy
N.P. Hariharpur, Sant Kabir Nagar (U.P.)

Manager
K.S. Pandey Public Academy
N.P. Hariharpur, Sant Kabir Nagar (U.P.)

प्रेषक,

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मण्डल–गोरखपुर/बस्ती।

सेवा में,

प्रबन्धक
के0एस0 पाण्डेय पब्लिक अकादमी
हरिहरपुर, नाथनगर, खलीलाबाद
जनपद–संत कबीरनगर

पत्रांक– 2054-7/2016–17 दिनांक 31 मार्च 17

विषयः पूर्व माध्यमिक विद्यालय 'के0एस0 पाण्डेय पूर्व माध्यमिक विद्यालय' के नाम को संशोधित कर 'के0एस0पाण्डेय पब्लिक अकादमी' करने के संदर्भ में।

प्रिय महोदय/महोदया

आपके द्वारा दिये गये निवेदन पत्र दिनांक 20.02.17 के संदर्भ से विद्यालय के साथ पश्चावर्ती पत्राचार के निर्देश से आपके विद्यालय 'के0एस0 पाण्डेय पूर्व माध्यमिक विद्यालय' के नाम को शासनादेश सं0–1971(3)/17.6.96–(डी) 7/97 दिनांक 10.07.2004 के क्रम में निम्नलिखित प्रतिबंधों के साथ विद्यालय का नाम संशोधित कर के0एस0 पाण्डेय पब्लिक अकादमी' करने की सूचना दिनांक 24.03.17 से तीन वर्षों के लिये कक्षा 6 से 8 तक के लिये अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के साथ पूरा किये जाने के अध्यधीन है

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात/सम्बन्धन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्धक एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपबन्ध–दो) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. परिषदीय पाठ्यक्रमानुसार ही शिक्षा दी जाये।
4. किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रबन्धक का तथा उसके कार्यों का प्रबन्धन करने वाले अन्य व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वह बेसिक शिक्षा परिषद अधिनियम तथा इस नियमावली के उपबन्धों का तथा परिषद द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करेगा।
5. विद्यालय की प्रबन्ध समिति सोसायटी रजिस्टेशन अधिनियम 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत हो तथा तिथि नवीनीकृत हो और उसका संविधान प्रजातांत्रिक आधार पर बना हो।
6. विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा कभी भी किया जा सकता है तथा वह शिक्षा के नियमों और समय–समय पर जारी किये गये आवश्यक निर्देशों का पालन करना होगा।

K.S. Singh
Principal
K.S. Pandey Public Academy
N.P. Hariharpur, Sant Kabir Nagar (U.P.)

Manager
K.S. Pandey Public Academy
N.P. Hariharpur, Sant Kabir Nagar (U.P.)

7. विद्यालय को पूर्व में आवंटित किये गये मान्यता कोड सं0 262–69 व संशोधित किये गये नाम 'के0एम0 पाण्डेय पब्लिक अकादमी' का आवंटन मान्यता कोड में कोई संशोधन नहीं किया जा रहा है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का ही उल्लेख करें।

8. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है तो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाये।

9. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, तो सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

S.P. Tripathi

(डा0 सत्य प्रकाश त्रिपाठी)
सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मण्डल गोरखपुर/बस्ती

पृ0सं0 आशु0/ /2016–17 दिनांक–

प्रतिलिपि–निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, संतकबीरनगर।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/विकलांग कल्याण अधिकारी/अल्पांसख्यक कल्याण अधिकारी, संतकबीरनगर।
3. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, संतकबीरगनर।
4. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, संतकबीरनगर।
5. नगर शिक्षा अधिकारी, संतकबीरनगर।
6. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य के0एस0 पाण्डेय पब्लिक अकादमी हरिहरपुर, संतकबीरनगर।

K.P. Singh
Principal
K.S. Pandey Public Academy
N.P. Hariharpur, Sant Kabir Nagar (U.P.)

Manager
K.S. Pandey Public Academy
N.P. Hariharpur, Sant Kabir Nagar (U.P.)

# कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी–सन्त कबीर नगर

पत्रांक/मान्यता 816 /2019–20 दिनांक– 25 मई, 2020

प्रबन्धक

के0एस0 पाण्डेय पब्लिक अकादमी
हरिहरपुर, नाथनगर, खलीलाबाद
जनपद– सन्त कबीर नगर

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 20 मई, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने की कोशिश करें, उक्त के संदर्भ में आपको अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 419/79–6–2013–18(20) /91 शिक्षा अनुभाग–06 दिनांक 08 मई, 2013 के अनुपालन में सूच्य है कि मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से संबंधित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो 03 वर्ष की अवधि पूरी होने पर वह मान लिया जाएगा कि विद्यालय को स्थाई मान्यता प्राप्त हो गयी है। साथ ही आपको यह भी अवगत कराना है कि मान्यता आदेश के बिन्दु 13 तथा बिन्दु 17 में दिये गए निर्देशों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित किया जाए।

कृपया उक्तवत अवगत होने का कष्ट करें।

(दिनेश कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सन्त कबीर नगर

Principal
K.S. Pandey Public Academy
N.P. Hariharpur, Sant Kabir Nagar (U.P.)

Manager
K.S. Pandey Public Academy
N.P. Hariharpur, Sant Kabir Nagar (U.P.)

# महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
# राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ –226 007
वेब-साइट: www.upefa.com ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781126


प्रेषक
राज्य परियोजना निदेशक,
स्कूल शिक्षा, उ0प्र0
लखनऊ।

सेवा में
श्री मनीष गर्ग,
संयुक्त सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

दिनांक: 8 मार्च फरवरी, 2022

पत्रांक: रा0प0नि0/ 5654 /2021–22/लखनऊ

विषय– एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को नवीन यू–डायस कोड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राज्य स्तर से विभिन्न वर्षों में मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के सम्बन्ध में नवीन यू–डायस कोड आवंटित किये जाने के अनुरोध अग्रसारित किये गये हैं। एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के अनुरोधों को भारत सरकार के स्तर से यह अंकित करते हुए वापस कर दिया गया है कि "कृपया अपडेटेड मान्यता प्रमाण–पत्र अपलोड कर प्रेषित करें"।

उक्त प्रेषित किये गये अनुरोधों में वास्तविक शैक्षिक संस्थाएं ही अग्रसारित की गयी हैं। प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग–6 के शासनादेश संख्या–419/79–6–2013–18(20)/91 दिनांक 08 मई, 2013 (प्रति संलग्न) के बिन्दु– 15 में उल्लिखित निर्देश "प्रथमदृष्टया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है" के अनुसार मान्यता के सम्बन्ध में अपडेटेड प्रमाण–पत्र निर्गत करने का प्राविधान नहीं है। आगामी सत्र से मात्र पिछले एक वर्ष में मान्यता प्राप्त अथवा नवीन संचालित शासकीय संस्थाओं के यू–डायस कोड आवंटन हेतु ही अनुरोध पत्र प्रेषित एवं स्वीकृत किए जाएंगे। इस सम्बन्ध में समस्त जनपदों को निर्देश प्रेषित कर दिये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्व के त्रुटिवश/समुचित प्रचार–प्रसार के अभाव में यू–डायस कोड आवंटन का अनुरोध न करने वाले विद्यालयों को राज्य स्तर से अग्रसारित अनुरोधों के क्रम में वर्तमान सत्र में यू–डायस कोड आवंटित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उक्तवत्

भवदीया,

(अनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

पृष्ठांकन: रा0प0नि0/ /2021–22/लखनऊ/तद्दिनांक

प्रतिलिपि:

1. जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि आपके जनपद में संचालित समस्त पात्र शैक्षिक संस्थाओं के यू–डायस कोड के आवंटन की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
2. श्री सदा अख्तर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (साइंटिस्ट–एफ)
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

(अनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

Principal
K.S. Pandey Public Academy
N.P. Hariharpur, Sant Kabir Nagar (U.P.)

Manager
K.S. Pandey Public Academy
N.P. Hariharpur, Sant Kabir Nagar (U.P.)